न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 359/2022

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
लुम्बाराम पुत्र जोधाराम रेबारी निवासी गांधव कलां, तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर		1. आईदानराम पुत्र लाखाराम रेबारी निवासी गांधव कलां, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाडमेर 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी (बाडमेर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी, प्रकरण संख्या 11/2022 दिनांक 18.04.2022

उपस्थित–

1. श्री सांगाराम चौधरी, वकील अपीलाण्ट
2. श्री लादूराम पूनिया, वकील रेस्पो0 संख्या 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांक 28.03.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1–लूम्बाराम ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर तहसील गुड़ामालानी के ग्राम गांधव कला स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 118/1 रकबा 0.6475 हैक्टर भूमि की नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी करवाने हेतु विप्रार्थी–अपीलांट–लुम्बाराम के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विप्रार्थीगण के बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.4.22 द्वारा प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार गुडामालानी को दोनो पक्षों की उपस्थिति में ख0नं0 118/1 का सीमाज्ञान करवाकर चारो ओर पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि रेस्पो0सं0 1 के सेढा–सेढ स्थित है। अपीलांट उम्रदराज अनपढ ग्रामीण व्यक्ति है, जो कोरोना महामारी के दौरान घर में ही रहता था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधि विरूद्ध प्रेषित रजिस्टर्ड नोटिस को तामिल मानकर एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 15.11.2021 के अनुसार रेस्पो0 के ख0नं0 118/1 की सीमा पडौसी ख0नं0 118 में कुछ हिस्सा अर्थात सेढे के अन्दर होने के कारण विवाद की स्थिति बतायी गई। मौके पर रेस्पो0 की कितनी भूमि किस माठ पर कम है, नही बतलायी गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे रेस्पो0 सं0 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम गांधव कला स्थित उल्लेखित खसरान की भूमि का सीमांकन हेतु तहसीलदार पोकरण के आदेश की पालना ह0 पटवारी द्वारा दिनांक 15.11.2021 को सीमाज्ञान की कार्यवाही की गई। मौका फर्द अनुसार मौके पर सेढे पडौसियान को बुलाया गया, जिन्होने सीमाज्ञान से इंकार किया। मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने से सीमाज्ञान की कार्यवाही नही हो सकी। अपीलांट को सीमांकन की जानकारी पूर्व से होने के उपरांत उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु कोई कार्यवाही/उपस्थिति स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत नही की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलांट खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 सं0 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि प्रार्थी–रेस्पा0 सं0 1–आईदानराम के आवेदन पर तहसीलदार गुडामालानी के आदेशानुसार मौके पर ग्राम माधव कलां के खसरा नम्बर 118/1 पैमाईश/सीमाज्ञान की कार्यवाही के दौरान अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 1 के मध्य सीमा संबंधी विवाद के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रर्याप्त व समुचित अवसर दिये बिना पारित एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.4.22 न्यायोचित प्रतीत नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 11/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2022 निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त उल्लेखित खसरान का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो0 सं0 1 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पक्के नेखमबंदी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 28 मार्च, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

28/03/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर